**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

तारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 33

उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018

**विद्यार्थियों के लिए ब्याज-मुक्त शिक्षा ऋण**

**\*33. श्री डी॰ कुपेन्द्र रेड्डीः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विद्यार्थियों को ब्याज-मुक्त शिक्षा ऋण उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया है;

(ग) क्या ये ऋण बैंकों द्वारा दिए जाने वाले शिक्षा ऋणों से भिन्न हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्री प्रकाश जावडेकर)**

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

\*\*\*\*\*

**‘विद्यार्थियों के लिए ब्याज-मुक्त शिक्षा ऋण’ के संबंध में श्री डी॰ कुपेन्द्र रेड्डी द्वारा दिनांक 13.12.2018 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं. 33 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण**

(क) से (घ): सरकार समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्‍च शिक्षा के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्‍याज सब्‍सिडी देती है। इसका विवरण निम्‍नानुसार है:-

(**i) केन्‍द्रीय क्षेत्र ब्‍याज सब्‍सिडी योजना (सीएसआईएस)**

 इस योजना के तहत, उन छात्रों, जिनकी पारिवारिक आय 4.5 लाख से कम है, द्वारा मॉडल शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत अनुसूचित बैंक से लिए गए 7.5 लाख रूपये तक के शैक्षिक ऋण पर स्‍थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि+एक वर्ष) के दौरान पूर्ण ब्‍याज सब्‍सिडी दी जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान 4742.84 करोड़ रूपये ब्‍याज सब्‍सिडी के लिए संवितरित किए गए हैं जिससे 33.84 लाख छात्र लाभान्‍वित हुए हैं। चालू वित्‍तीय वर्ष में योजना के लिए 2150 करोड़ रूपये आवंटित किए गए है।

**(ii) विदेश में अध्‍ययन के लिए डॉ. अंबेडकर शैक्षिक ऋण ब्‍याज सब्‍सिडी योजना:**

 यह योजना सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्‍वित की जाती है। योजना का उद्देश्‍य उन अन्‍य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के मेधावी छात्रों को ब्‍याज सब्‍सिडी देना है ताकि उन्‍हें कला, इंजीनियरिंग, चिकित्‍सा और कृषि क्षेत्र में विदेश में उच्‍च शिक्षा के अध्‍ययन अवसर प्रदान किया जा सकें। आय सीमा ओबीसी के लिए प्रतिवर्ष 8.00 लाख तथा ईबीसी के लिए 2.5 लाख रूपये है। परिव्‍यय का 50 प्रतिशत छात्राओं के लिए निर्धारित किया गया है। गत 02 वर्षों में 22.77 करोड़ रूपये ब्‍याज सब्‍सिडी के लिए संवितरित किए गए हैं जिससे 2820 छात्र लाभान्‍वित हुए हैं।

**(iii) पढ़ो प्रदेश योजना**

 यह योजना अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्‍वित की जाती है। पढ़ो प्रदेश विदेश में अध्‍ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्‍याज सब्‍सिडी योजना है, जो अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए है। योजना का लाभ लेने के लिए रोजगार में लगे उम्‍मीदवारों की सभी स्रोतों से या गैर-रोजगार वाले उम्‍मीदवारों के अभिभावकों/माता-पिता की आय प्रतिवर्ष 6.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। मास्‍टर, एम.फिल और पीएच.डी में नामांकित छात्र द्वारा भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की मौजूदा शैक्षिक ऋण योजना के तहत लिए गए ऋण पर विदेश में अध्‍ययन के लिए 100 प्रतिशत ब्‍याज सब्‍सिडी दी जाती है। गत 03 वर्षों के दौरान ब्‍याज सब्‍सिडी के लिए 43.22 करोड़ रूपये संवितरित किए गए हैं जिससे 4596 छात्र लाभान्‍वित हुए हैं।

**\*\*\*\*\***